

स्टॉक ब्रोकर्स, सब-ब्रोकर्स, अधिकृत व्यक्तियों और ग्राहकों के अधिकार और दायित्वसेबी और स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित

1. ग्राहक उन प्रतिभूतियों/अनुबंधों/अन्य उपकरणों में निवेश/व्यापार करेगा जो एक्सचेंजों/भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के नियमों, उपनियमों और विनियमों और समय-समय पर जारी परिपत्रों/नोटिस में परिभाषित किए गए हैं।
 2. स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर और ग्राहक एक्सचेंज के सभी नियमों, उपनियमों और विनियमों तथा इसके अंतर्गत जारी परिपत्रों/नोटिसों और सेबी के नियमों और विनियमों तथा समय-समय पर लागू सरकारी प्राधिकरणों की प्रासंगिक अधिसूचनाओं से बंधे होंगे।
 3. ग्राहक को स्टॉक ब्रोकर की प्रतिभूतियों में सौदा करने और/या डेरिवेटिव अनुबंधों में सौदा करने की क्षमता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना होगा तथा वह स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से अपने ऑर्डर निष्पादित करना चाहता है और ग्राहक को स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से ऑर्डर निष्पादित करने से पहले समय-समय पर स्टॉक ब्रोकर की ऐसी क्षमता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना होगा।
 4. स्टॉक ब्रोकर को ग्राहक की वास्तविकता और वित्तीय सुदृढ़ता के बारे में निरंतर संतुष्ट रहना चाहिए।
और प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित निवेश उद्देश्य।
 5. स्टॉक ब्रोकर को अपने ग्राहक को अपने द्वारा संचालित किए जाने वाले व्यवसाय के लिए स्टॉक ब्रोकर के दायित्व की सटीक प्रकृति के बारे में अवगत कराने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिसमें स्टॉक ब्रोकर की कोई सीमाएं, दायित्व और क्षमता शामिल है।
कृत्य.
 6. उप-दलाल स्टॉक ब्रोकर को उसके सभी लेन-देन में आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान करेगा।
ग्राहकों)।
- ग्राहक जानकारी
7. ग्राहक को "खाता खोलने के फॉर्म" में स्टॉक ब्रोकर द्वारा मांगे गए सभी विवरण पूर्ण रूप से प्रस्तुत करने होंगे।
सहायक विवरण के साथ, स्टॉक एक्सचेंजों/सेबी द्वारा समय-समय पर अनिवार्य किया गया है।
 8. ग्राहक को खाता खोलने के दस्तावेजों में सभी अनिवार्य प्रावधानों से परिचित होना चाहिए। स्टॉक ब्रोकर द्वारा निर्दिष्ट कोई भी अतिरिक्त खंड या दस्तावेज ग्राहक द्वारा स्वीकार किए गए नियमों और शर्तों के अनुसार गैर-अनिवार्य होंगे।
 9. यदि खाता खोलने के समय या उसके बाद 'खाता खोलने के फॉर्म' में दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन होता है, तो ग्राहक को स्टॉक ब्रोकर को लिखित रूप में तुरंत सूचित करना चाहिए; इसमें समापन याचिका/दिवाल्यापन याचिका या किसी मुकदमे की जानकारी शामिल है, जिसका उसकी क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।
ग्राहक को स्टॉक ब्रोकर को समय-समय पर वित्तीय जानकारी उपलब्ध करानी होगी/अपडेट करनी होगी।
 10. स्टॉक ब्रोकर और सब-ब्रोकर को खाता खोलने के फॉर्म में उल्लिखित क्लाइंट के सभी विवरण या क्लाइंट से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी गोपनीय रखनी चाहिए और वे इसे किसी भी व्यक्ति/प्राधिकरण को नहीं बताएंगे, सिवाय इसके कि किसी कानून/नियामक आवश्यकताओं के तहत ऐसा करना आवश्यक हो। हालांकि, स्टॉक ब्रोकर क्लाइंट की स्पष्ट अनुमति से अपने क्लाइंट के बारे में जानकारी किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को बता सकता है।

मार्जिन

11. ग्राहक को लागू आरंभिक मार्जिन, विदहोलिग मार्जिन, विशेष मार्जिन या ऐसे अन्य मार्जिन का भुगतान करना होगा, जिन्हें स्टॉक ब्रोकर या एक्सचेंज द्वारा आवश्यक माना जाता है या जैसा कि समय-समय पर सेबी द्वारा निर्देशित किया जा सकता है, जो उस सेगमेंट पर लागू होता है जिसमें ग्राहक ट्रेड करता है। स्टॉक ब्रोकर को अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक से अतिरिक्त मार्जिन एकत्र करने की अनुमति है (भले ही एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस/क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या सेबी द्वारा इसकी आवश्यकता न हो) और ग्राहक को निर्धारित समय के भीतर ऐसे मार्जिन का भुगतान करना होगा।
12. ग्राहक समझता है कि ग्राहक द्वारा मार्जिन का भुगतान करने का अर्थ यह नहीं है कि सभी बकाया राशि का पूर्ण भुगतान हो गया है। लगातार मार्जिन का भुगतान करने के बावजूद, ग्राहक अपने व्यापार के निपटान पर, अनुबंध के अनुसार निर्धारित/आवश्यक राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य हो सकता है (या प्राप्त करने का हकदार हो सकता है)।

लेन-देन और निपटान

13. ग्राहक किसी प्रतिभूति/व्युत्पन्न अनुबंध की खरीद या बिक्री के लिए कोई भी आदेश लिखित रूप में या ऐसे रूप या तरीके से देगा, जैसा कि ग्राहक और स्टॉक ब्रोकर के बीच आपसी सहमति से तय हो। स्टॉक ब्रोकर यह सुनिश्चित करेगा कि

ग्राहक को दिए गए विशिष्ट ग्राहक कोड में ही ऑर्डर देने और उसके ट्रेडों को निष्पादित करने की अनुमति है।

14. स्टॉक ब्रोकर ग्राहक को सूचित करेगा और उसे ट्रेडिंग/निपटान चक्र, डिलीवरी/भुगतान कार्यक्रम, समय-समय पर उनमें होने वाले किसी भी बदलाव के बारे में अवगत रखेगा, और यह ग्राहक की जिम्मेदारी होगी कि वह संबंधित स्टॉक एक्सचेंज, जहां व्यापार निष्पादित किया जाता है, के ऐसे कार्यक्रमों/प्रक्रियाओं का अनुपालन करे।
15. स्टॉक ब्रोकर यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक द्वारा जमा किया गया धन/प्रतिभूतियां उसके अपने खाते या किसी अन्य ग्राहक के खाते से अलग एक अलग खाते में रखी जाएंगी और स्टॉक ब्रोकर द्वारा स्वयं के लिए या किसी अन्य ग्राहक के लिए या सेबी के नियमों, विनियमों, परिपत्रों, नोटिसों, दिशानिर्देशों और/या एक्सचेंज के नियमों, विनियमों, उपनियमों, परिपत्रों और नोटिसों में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा।
16. जहां एक्सचेंज स्वतः संज्ञान लेकर ट्रेड को रद्द करता है, वहां ग्राहक की ओर से किए गए ट्रेड सहित सभी ट्रेड स्वतः ही रद्द समझे जाएंगे, स्टॉक ब्रोकर ग्राहक के साथ संबंधित अनुबंध को रद्द करने का हकदार होगा।
17. एक्सचेंज पर निष्पादित किए गए लेन-देन उन एक्सचेंजों के नियमों, उपनियमों और विनियमों तथा उनके अंतर्गत जारी परिपत्रों/नोटिसों के अधीन होंगे जहां व्यापार निष्पादित किया जाता है और ऐसे व्यापार के सभी पक्षों को ऐसे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रस्तुत करना होगा, जिसे एक्सचेंजों के उपनियमों और विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है जहां एक्सचेंजों के नियमों, उपनियमों और विनियमों और उनके अंतर्गत जारी परिपत्रों/नोटिसों के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से व्यापार निष्पादित किया जाता है।

ब्रोकरेज

18. ग्राहक स्टॉक ब्रोकर को ब्रोकरेज और वैधानिक शुल्क का भुगतान करेगा, जो समय-समय पर लागू होते हैं और जो ग्राहक के खाते, लेनदेन और स्टॉक ब्रोकर द्वारा ग्राहक को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू होते हैं।
स्टॉक ब्रोकर संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के नियमों, विनियमों और उपनियमों और/या सेबी के नियमों और विनियमों के अनुसार स्वीकार्य अधिकतम ब्रोकरेज से अधिक ब्रोकरेज चार्ज नहीं करेगा।

परिसमापन और स्थिति से बाहर निकलना

19. स्टॉक ब्रोकर के अन्य अधिकारों (मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के अधिकार सहित) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ग्राहक समझता है कि स्टॉक ब्रोकर मार्जिन या अन्य राशियों, बकाया ऋणों आदि का भुगतान न करने के लिए ग्राहक की सभी या किसी भी स्थिति को समाप्त/बंद करने का हकदार होगा और ऐसे परिसमापन/समापन की आय, यदि कोई हो, को ग्राहक की देनदारियों/दायित्वों के विरुद्ध समायोजित करेगा। ऐसे परिसमापन/समापन के कारण होने वाले सभी नुकसान और वित्तीय शुल्क ग्राहक से वसूले जाएंगे और ग्राहक द्वारा वहन किए जाएंगे।
20. ग्राहक की मृत्यु या दिवालियापन की स्थिति में या उसके द्वारा खरीदे या बेचे जाने वाले प्रतिभूतियों को प्राप्त करने और भुगतान करने या वितरित करने या हस्तांतरित करने में असमर्थ होने की स्थिति में, स्टॉक ब्रोकर ग्राहक के लेन-देन को बंद कर सकता है और ग्राहक की संपत्ति के विरुद्ध नुकसान, यदि कोई हो, का दावा कर सकता है। ग्राहक या उसके नामांकित व्यक्ति, उत्तराधिकारी, वारिस और समनुदेशिनी किसी भी अधिशेष के हकदार होंगे जो उसके परिणामस्वरूप हो सकता है। ग्राहक को ध्यान रखना चाहिए कि नामांकित व्यक्ति के पक्ष में निधियों/प्रतिभूतियों का हस्तांतरण स्टॉक ब्रोकर द्वारा कानूनी उत्तराधिकारी के विरुद्ध वैध निर्वहन होगा।
21. स्टॉक ब्रोकर को किसी ग्राहक द्वारा भुगतान/डिलीवरी में चूक और उससे संबंधित पहलुओं के बारे में संबंधित एक्सचेंज को जानकारी देनी होगी। यदि चूक करने वाला ग्राहक कोई कॉर्पोरेट इकाई/साझेदारी/स्वामित्व वाली फर्म या कोई अन्य कृत्रिम कानूनी इकाई है, तो स्टॉक ब्रोकर द्वारा निदेशक/प्रवर्तक/भागीदार/मालिक का नाम भी संबंधित एक्सचेंज को सूचित किया जाएगा।

विवाद समाधान

22. स्टॉक ब्रोकर ग्राहक को संबंधित एक्सचेंजों और सेबी के प्रासंगिक संपर्क विवरण उपलब्ध कराएगा।
23. स्टॉक ब्रोकर अपने माध्यम से किए गए सभी लेन-देन के संबंध में ग्राहक की शिकायतों के निवारण में तथा शेरों की खराब डिलीवरी, खराब डिलीवरी में सुधार आदि के लिए आपत्तियों को दूर करने में सहयोग करेगा।
24. ग्राहक और स्टॉक ब्रोकर जमा, मार्जिन मनी आदि के संबंध में किसी भी दावे और/या विवाद को उस एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों और विनियमों के अनुसार मध्यस्थता के लिए भेजेंगे, जहां व्यापार निष्पादित किया जाता है और उसके तहत समय-समय पर जारी परिपत्रों/नोटिस लागू हो सकते हैं।
25. स्टॉक ब्रोकर को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके और उसके ग्राहक के बीच हुए लेन-देन से उत्पन्न किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही का तेजी से निपटारा हो और वह ऐसी कार्यवाहियों में दिए गए मध्यस्थता पुरस्कारों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा।

26. ग्राहक/स्टॉक-ब्रोकर यह समझता है कि विवाद समाधान के लिए ग्राहक/स्टॉक-ब्रोकर के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जारी किए गए निर्देश, यदि कोई हों, तो उक्त प्रतिनिधि को उक्त ग्राहक/स्टॉक-ब्रोकर की ओर से सौदा करने के लिए अधिकृत करने वाले पत्र के अनुसार ग्राहक/स्टॉक-ब्रोकर पर बाध्यकारी होंगे।

रिश्ते की समाप्ति

27. स्टॉक ब्रोकर और ग्राहक के बीच यह संबंध समाप्त हो जाएगा; यदि स्टॉक ब्रोकर किसी भी कारण से स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य नहीं रह जाता है, जिसमें स्टॉक ब्रोकर की चूक, मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन के कारण सदस्यता की समाप्ति शामिल है या यदि बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाता है।

28. स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर और क्लाइंट दूसरे पक्ष को कम से कम एक महीने का लिखित नोटिस देने के बाद, बिना कोई कारण बताए अपने बीच के रिश्ते को खत्म करने के हकदार होंगे। इस तरह के किसी भी समापन के बावजूद, इस संबंध की समाप्ति से पहले किए गए लेन-देन से उत्पन्न होने वाले या उसके संबंध में पार्टियों के सभी अधिकार, दायित्व और दायित्व बने रहेंगे और संबंधित पक्षों या उनके संबंधित उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकारियों पर बाध्यकारी होंगे।

29. किसी भी कारणवश, उप-दलाल की मृत्यु/दिवालियापन या बोर्ड के साथ उसके पंजीकरण को रद्द करने या/स्टॉक एक्सचेंज द्वारा उप-दलाल की मान्यता वापस लेने और/या स्टॉक दलाल द्वारा उप-दलाल के साथ समझौते को समाप्त करने की स्थिति में, ग्राहक को ऐसी समाप्ति के बारे में सूचित किया जाएगा और ग्राहक को स्टॉक दलाल का प्रत्यक्ष ग्राहक माना जाएगा और स्टॉक दलाल, उप-दलाल और ग्राहक को नियंत्रित करने वाले 'अधिकार और दायित्व' दस्तावेजों में सभी खंड तब तक लागू रहेंगे, जब तक कि ग्राहक स्टॉक दलाल को कम से कम एक महीने का लिखित नोटिस देकर अपने रिश्ते को समाप्त करने के इरादे से अवगत नहीं कराता है।

अतिरिक्त अधिकार और दायित्व

30. स्टॉक ब्रोकर को अपने माध्यम से किए गए लेन-देन के संबंध में ग्राहक के लाभान्श, अधिकार या बोनस शेयर आदि के अधिकारों के संबंध में उचित सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा जिससे उस ग्राहक के हितों को नुकसान पहुंचने की संभावना हो जिसके साथ और जिसके लिए उसने प्रतिभूतियों में लेन-देन किया हो।

31. स्टॉक ब्रोकर और ग्राहक सेबी और संबंधित एक्सचेंजों, जहां व्यापार निष्पादित किया जाता है, द्वारा जारी नियमों, विनियमों, उपनियमों, परिपत्रों, नोटिसों और दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर अपने खातों का मिलान और निपटान करेंगे।

32. स्टॉक ब्रोकर अपने घटकों को एक्सचेंज द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रारूप में निष्पादित ट्रेडों के लिए एक अनुबंध नोट जारी करेगा जिसमें ऑर्डर संख्या, ट्रेड संख्या, ट्रेड समय, ट्रेड मूल्य, ट्रेड मात्रा, डेरिवेटिव अनुबंध का विवरण, क्लाइंट कोड, ब्रोकरेज, लगाए गए सभी शुल्क आदि सहित सभी लेन-देन के रिकॉर्ड होंगे और इसमें सभी अन्य प्रासंगिक विवरण भरे जाएंगे और एक्सचेंज द्वारा निर्धारित तरीके से और समय के भीतर जारी किए जाएंगे। स्टॉक ब्रोकर निवेशकों को ट्रेडों के निष्पादन के एक कार्य दिवस के भीतर हार्ड कॉपी और/या डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में अनुबंध नोट भेजेगा।

33. स्टॉक ब्रोकर को, जहां व्यापार निष्पादित किया गया है, संबंधित एक्सचेंज से भुगतान की प्राप्ति के एक कार्य दिवस के भीतर ग्राहक को निधियों या प्रतिभूतियों की डिलीवरी का भुगतान करना होगा, जैसा भी मामला हो, जब तक कि ग्राहक द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए और ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन हो, जो संबंधित एक्सचेंज द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जा सकते हैं जहां व्यापार निष्पादित किया गया है।

34. स्टॉक ब्रोकर अपने प्रत्येक ग्राहक के संबंध में फंड और सिक्योरिटीज दोनों के लिए एक पूर्ण 'खातों का विवरण' ऐसी आवश्यकता और प्रारूप में ऐसे समय के भीतर भेजेगा, जैसा कि संबंधित एक्सचेंज द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है, जहां व्यापार निष्पादित किया जाता है। विवरण में यह भी कहा जाएगा कि ग्राहक विवरण में त्रुटियाँ, यदि कोई हों, की रिपोर्ट ऐसे समय के भीतर करेगा, जैसा कि संबंधित एक्सचेंज द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है, जहां व्यापार निष्पादित किया गया था, स्टॉक ब्रोकर को इसकी प्राप्ति से।

35. स्टॉक ब्रोकर को ग्राहकों को दैनिक मार्जिन विवरण भेजना चाहिए। दैनिक मार्जिन विवरण में, अन्य बातों के साथ-साथ, जमा किए गए संपार्श्विक, उपयोग किए गए संपार्श्विक और संपार्श्विक स्थिति (उपलब्ध शेष/ग्राहक से बकाया) का विवरण नकदी, सावधि जमा रसीदें (एफडीआर), बैंक गारंटी और प्रतिभूतियों के संदर्भ में शामिल होना चाहिए।

36. ग्राहक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास स्टॉक ब्रोकर के साथ संबंध बनाने के लिए आवश्यक कानूनी क्षमता है और वह इसके लिए अधिकृत है तथा वह इसके तहत अपने दायित्वों और उपकरणों को पूरा करने में सक्षम है। ग्राहक द्वारा किए जाने वाले सभी लेन-देन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए की जाने वाली सभी आवश्यक कार्रवाइयां ग्राहक द्वारा ऐसे लेनदेन में प्रवेश करने से पहले पूरी की जानी चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध नोट्स (ईसीएन)

37. यदि ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक रूप में अनुबंध नोट प्राप्त करना चाहता है, तो उसे स्टॉक ब्रोकर को एक उपयुक्त ई-मेल आईडी प्रदान करनी होगी। ग्राहक को स्टॉक ब्रोकर को ईमेल-आईडी में किसी भी बदलाव के बारे में एक भौतिक पत्र के माध्यम से सूचित करना होगा। यदि ग्राहक ने इंटरनेट ट्रेडिंग का विकल्प चुना है, तो ईमेल आईडी में बदलाव का अनुरोध ग्राहक विशिष्ट उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से सुरक्षित पहुँच के माध्यम से किया जा सकता है।
38. स्टॉक ब्रोकर यह सुनिश्चित करेगा कि ई-मेल के माध्यम से भेजे गए सभी ईसीएन डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, एन्क्रिप्टेड, गैर-छेड़छाड़ योग्य और आईटी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुपालन में होंगे। यदि ईसीएन को अनुलग्नक के रूप में ई-मेल के माध्यम से भेजा जाता है, तो संलग्न फ़ाइल भी डिजिटल हस्ताक्षर, एन्क्रिप्टेड और गैर-छेड़छाड़ योग्य के साथ सुरक्षित होगी।
39. ग्राहक को ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक ब्रोकर द्वारा बाउंस मेल अधिसूचना प्राप्त न होने पर, ग्राहक के ई-मेल आईडी पर अनुबंध नोट की डिलीवरी मान ली जाएगी।
40. स्टॉक ब्रोकर ई.सी.एन. तथा ई-मेल की पावती को सॉफ्ट तथा गैर-छेड़छाड़ योग्य रूप में आईटी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुपालन में तथा सेबी/स्टॉक एक्सचेंज द्वारा समय-समय पर जारी मौजूदा नियमों/विनियमों/परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार एक्सचेंज द्वारा निर्धारित तरीके से बनाए रखेगा। डिलीवरी का प्रमाण अर्थात्, अनुबंध नोट भेजने के समय सिस्टम द्वारा तैयार की गई लॉग रिपोर्ट को सेबी/स्टॉक एक्सचेंज के मौजूदा नियमों के तहत स्टॉक ब्रोकर द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा। लॉग रिपोर्ट में उन अनुबंध नोटों का विवरण दिया जाएगा जो क्लाइंट को डिलीवर नहीं किए गए/ई-मेल अस्वीकृत या बाउंस हो गए। स्टॉक ब्रोकर को सेबी/स्टॉक एक्सचेंज के मौजूदा नियमों के तहत निर्धारित समय अवधि के भीतर हर समय बाउंस किए गए मेल की सूचना प्राप्त करने के लिए सभी संभव कदम उठाने होंगे।
41. स्टॉक ब्रोकर ऐसे ग्राहकों को भौतिक रूप में कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजना जारी रखेगा जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में कॉन्ट्रैक्ट नोट प्राप्त करने का विकल्प नहीं चुनते हैं। जहाँ कहीं भी ईसीएन ग्राहक को वितरित नहीं किया गया है या ग्राहक की ई-मेल आईडी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है (मेल बाउंसिंग), स्टॉक ब्रोकर सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों के मौजूदा नियमों के तहत निर्धारित समय के भीतर ग्राहक को एक भौतिक कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजेगा और ऐसे भौतिक कॉन्ट्रैक्ट नोटों की डिलीवरी का सबूत बनाए रखेगा।
42. ग्राहक को ई.सी.एन. के ई-मेल संचार के अतिरिक्त, स्टॉक ब्रोकर ई.सी.एन. को अपनी निर्दिष्ट वेबसाइट पर, यदि कोई हो, सुरक्षित तरीके से प्रकाशित करेगा तथा ग्राहकों को प्रासंगिक पहुंच प्रदान करेगा और इस प्रयोजन के लिए, ग्राहक को एक अद्वितीय उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड आवंटित करेगा, जिसमें ग्राहक को अनुबंध नोट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहेजने और/या उसका प्रिंट आउट लेने का विकल्प होगा।

कानून और अधिकार क्षेत्र

43. इस दस्तावेज़ में निर्धारित विशिष्ट अधिकारों के अतिरिक्त, स्टॉक ब्रोकर, उप-ब्रोकर और ग्राहक किसी अन्य अधिकार का प्रयोग करने के हकदार होंगे, जो स्टॉक ब्रोकर या ग्राहक को उन एक्सचेंजों के नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अंतर्गत प्राप्त हो सकते हैं जिनमें ग्राहक व्यापार करना चुनता है और उनके तहत जारी परिपत्रों/नोटिसों या सेबी के नियमों और विनियमों के अंतर्गत।
44. इस दस्तावेज़ के प्रावधान हमेशा सरकारी अधिसूचनाओं, सेबी द्वारा जारी किए गए किसी भी नियम, विनियम, दिशानिर्देश और परिपत्रों/नोटिस और संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के नियमों, विनियमों और उपनियमों के अधीन होंगे, जहां व्यापार निष्पादित किया जाता है, जो समय-समय पर लागू हो सकते हैं।
45. स्टॉक ब्रोकर और ग्राहक मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थ द्वारा पारित किसी भी पुरस्कार का पालन करेंगे। हालांकि, स्टॉक एक्सचेंजों के भीतर अपील का प्रावधान भी है, यदि कोई भी पक्ष मध्यस्थता पुरस्कार से संतुष्ट नहीं है।
46. इस दस्तावेज़ में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जिन्हें इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, वही अर्थ रखेंगे जो एक्सचेंज/सेबी के नियमों, उपनियमों और विनियमों तथा उनके अंतर्गत जारी परिपत्रों/नोटिसों में दिए गए हैं।
47. स्टॉक ब्रोकर द्वारा जोड़े गए सभी अतिरिक्त स्वैच्छिक खंड/दस्तावेज़ एक्सचेंज/सेबी के नियमों/विनियमों/नोटिस/परिपत्रों के उल्लंघन में नहीं होने चाहिए। ऐसे स्वैच्छिक खंडों/दस्तावेज़ों में कोई भी बदलाव करने से पहले 15 दिन का नोटिस देना होगा। एक्सचेंज/सेबी द्वारा निर्दिष्ट अधिकारों और दायित्वों में कोई भी बदलाव ग्राहकों के ध्यान में लाया जाना चाहिए।
48. यदि सेबी के नियमों और विनियमों या संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के उपनियमों, नियमों और विनियमों में परिवर्तन के कारण पक्षकारों के अधिकार और दायित्व बदल जाते हैं, जहां व्यापार निष्पादित किया जाता है, तो ऐसे परिवर्तनों को इस दस्तावेज़ में उल्लिखित पक्षों के अधिकारों और दायित्वों के संशोधन में शामिल किया गया माना जाएगा।

स्टॉक ब्रोकर्स द्वारा ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली इंटरनेट और वायरलेस प्रौद्योगिकी आधारित ट्रेडिंग सुविधा

('अधिकार एवं दायित्व' दस्तावेज़ में उल्लिखित सभी खंड लागू होंगे। इसके अतिरिक्त, इसमें उल्लिखित खंड भी लागू होंगे।)

1. स्टॉक ब्रोकर वायरलेस तकनीक के इस्तेमाल के ज़रिए इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग (IBT) और सिक्सोरिटी ट्रेडिंग प्रदान करने के लिए पात्र है, जिसमें मोबाइल फोन, डेटा कार्ड के साथ लैपटॉप आदि जैसे उपकरणों का इस्तेमाल शामिल होगा जो इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) का इस्तेमाल करते हैं। स्टॉक ब्रोकर को वायरलेस तकनीक का इस्तेमाल करके इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग/सिक्सोरिटी ट्रेडिंग के लिए लागू सभी आवश्यकताओं का पालन करना होगा, जैसा कि SEBI और एक्सचेंजों द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।
2. ग्राहक प्रतिभूतियों में निवेश/व्यापार करने का इच्छुक है और इस प्रयोजन के लिए, ग्राहक या तो इंटरनेट आधारित व्यापार सुविधा या वायरलेस प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से प्रतिभूति व्यापार की सुविधा का उपयोग करने का इच्छुक है।
स्टॉक ब्रोकर ग्राहक को स्टॉक ब्रोकर की आईबीटी सेवा प्रदान करेगा, और ग्राहक स्टॉक ब्रोकर की आईबीटी सेवा का लाभ उठाएगा, जो सेबी/एक्सचेंजों के प्रावधानों और स्टॉक ब्रोकर की आईबीटी वेबसाइट पर निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगा, बशर्ते कि वे एक्सचेंजों/सेबी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हों।
3. स्टॉक ब्रोकर को वायरलेस प्रौद्योगिकी/इंटरनेट/स्मार्ट ऑर्डर रूटिंग या किसी अन्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रतिभूति व्यापार से जुड़ी विशेषताओं, जोखिमों, जिम्मेदारियों, दायित्वों और देनदारियों के बारे में ग्राहक को अवगत कराना चाहिए।
4. स्टॉक ब्रोकर को ग्राहक को यह जानकारी देनी होगी कि स्टॉक ब्रोकर की आईबीटी प्रणाली स्वयं ही आरंभिक पासवर्ड तैयार करती है तथा उसकी पासवर्ड नीति एक्सचेंज/सेबी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप होती है।
5. क्लाइंट यूजरनेम और पासवर्ड को गोपनीय और सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक ब्रोकर के आईबीटी सिस्टम के माध्यम से क्लाइंट के यूजरनेम और/या पासवर्ड का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति द्वारा दर्ज किए गए सभी ऑर्डर और किए गए लेनदेन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, चाहे वह व्यक्ति ऐसा करने के लिए अधिकृत हो या नहीं। साथ ही क्लाइंट को पता है कि ऑर्डर रूटिंग सिस्टम के माध्यम से वायरलेस तकनीक के माध्यम से इंटरनेट ट्रेडिंग/सिक्सोरिटी ट्रेडिंग के लिए प्रमाणीकरण तकनीक और सख्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है और यह सुनिश्चित करने का वचन देता है कि क्लाइंट और/या उसके अधिकृत प्रतिनिधि का पासवर्ड स्टॉक ब्रोकर के कर्मचारियों और डीलरों सहित किसी भी तीसरे पक्ष को नहीं बताया जाता है।
6. यदि ग्राहक अपना पासवर्ड भूल जाता है, स्टॉक ब्रोकर की आईबीटी प्रणाली में सुरक्षा दोष पाता है, अपने उपयोगकर्ता नाम/पासवर्ड/खाते के माध्यम से विसंगतियों/अनधिकृत पहुंच का पता चलता है/संदेह होता है तो उसे स्टॉक ब्रोकर को तुरंत लिखित रूप में सूचित करना चाहिए, जिसमें ऐसे अनधिकृत उपयोग, तिथि, तरीके और ऐसे अनधिकृत उपयोग के परिणामस्वरूप किए गए लेनदेन आदि का पूरा विवरण शामिल होना चाहिए।
7. ग्राहक इंटरनेट पर ऑर्डर रूट करने/वायरलेस प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रतिभूति व्यापार के लिए सेवा का लाभ उठाने से जुड़े जोखिमों से पूरी तरह अवगत है और उन्हें समझता है और ग्राहक किसी भी तरह से ग्राहक के उपयोगकर्ता नाम/पासवर्ड में किए गए किसी भी और सभी कार्यों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा।
8. स्टॉक ब्रोकर ग्राहक के अनुरोध पर उसे ईमेल के माध्यम से ऑर्डर/ट्रेड कन्फर्मेशन भेजेगा। ग्राहक को पता है कि ऑर्डर/ट्रेड कन्फर्मेशन वेब पोर्टल पर भी उपलब्ध है। यदि ग्राहक वायरलेस तकनीक का उपयोग करके ट्रेडिंग कर रहा है, तो स्टॉक ब्रोकर ग्राहक के डिवाइस पर ऑर्डर/ट्रेड कन्फर्मेशन भेजेगा।
9. ग्राहक को पता है कि इंटरनेट पर व्यापार में कई अनिश्चित कारक शामिल होते हैं और जटिल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम, संचार लाइनें, बाह्य उपकरण आदि में रुकावट और अव्यवस्था की आशंका रहती है।
स्टॉक ब्रोकर और एक्सचेंज कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं कि स्टॉक ब्रोकर की आईबीटी सेवा ग्राहक को बिना किसी रुकावट के हर समय उपलब्ध रहेगी।
10. स्टॉक ब्रोकर की आईबीटी प्रणाली या सेवा या एक्सचेंज की सेवा या प्रणालियों के किसी निलंबन, रुकावट, अनुपलब्धता या खराबी या स्टॉक ब्रोकर/एक्सचेंज के नियंत्रण से परे किसी भी कारण से ग्राहक/स्टॉक ब्रोकर/एक्सचेंज की ओर से किसी लिंक/सिस्टम विफलता के कारण उसके ऑर्डर का निष्पादन न होने के कारण ग्राहक एक्सचेंज या स्टॉक ब्रोकर के खिलाफ कोई दावा नहीं कर सकेगा।

पूँजी बाजार और डेरिवेटिव खंडों के लिए जोखिम प्रकटीकरण दस्तावेज़

इस दस्तावेज़ में स्टॉक एक्सचेंजों के इक्विटी/डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है।

सभी संभावित निवेशकों को एक्सचेंजों के इक्विटी/डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग करने से पहले इस दस्तावेज़ को पढ़ना चाहिए।

स्टॉक एक्सचेंज/सेबी अकेले या संयुक्त रूप से और स्पष्ट रूप से या निहित रूप से इस प्रकटीकरण दस्तावेज़ की पूर्णता, पर्याप्तता या सटीकता के बारे में कोई गारंटी नहीं देता है और न ही कोई प्रतिनिधित्व करता है और न ही स्टॉक एक्सचेंज/सेबी ने ट्रेडिंग सेगमेंट में भाग लेने के किसी भी गुण का समर्थन या पारित किया है। यह संक्षिप्त विवरण ट्रेडिंग के सभी जोखिमों और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का खुलासा नहीं करता है।

इसमें शामिल जोखिमों के मद्देनजर, आपको लेन-देन तभी करना चाहिए जब आप उस रिश्ते की प्रकृति को समझते हों जिसमें आप प्रवेश कर रहे हैं तथा जोखिम की आपकी सीमा को समझते हों।

आपको यह अवश्य जानना चाहिए और समझना चाहिए कि इक्विटी शेयर, डेरिवेटिव अनुबंध या स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार किए जाने वाले अन्य उपकरण, जिनमें जोखिम के अलग-अलग तत्व होते हैं, आम तौर पर सीमित संसाधनों/सीमित निवेश और/या ट्रेडिंग अनुभव और कम जोखिम सहनशीलता वाले किसी व्यक्ति के लिए उपयुक्त विकल्प नहीं हैं। इसलिए आपको सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए कि आपकी वित्तीय स्थिति के मद्देनजर ऐसा व्यापार आपके लिए उपयुक्त है या नहीं। यदि आप स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार करते हैं और प्रतिकूल परिणाम या हानि उठाते हैं, तो आप इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे और स्टॉक एक्सचेंज/इसकी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और/या सेबी किसी भी तरह से इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे और आप यह दलील नहीं दे सकते कि शामिल जोखिमों के बारे में कोई पर्याप्त खुलासा नहीं किया गया था या संबंधित स्टॉक ब्रोकर द्वारा आपको शामिल जोखिम के बारे में पूरी तरह से नहीं बताया गया था। घटक परिणामों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और इस कारण से कोई अनुबंध रद्द नहीं किया जा सकता है। आपको यह स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार किए जा रहे डेरिवेटिव अनुबंध की खरीद और/या बिक्री के लिए ऑर्डर निष्पादित करते समय लाभ की कोई गारंटी नहीं हो सकती है या नुकसान से कोई छूट नहीं हो सकती है।

आपको यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों पर आपका लेन-देन स्टॉक ब्रोकर द्वारा निर्धारित कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के अधीन होगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आपके द्वारा अपने ग्राहक को जानें फॉर्म भरना, अधिकारों और दायित्वों को पढ़ना, क्या करें और क्या न करें आदि शामिल हो सकते हैं, और यह संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों, उसके क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के नियमों, उपनियमों और विनियमों, सेबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित और लागू दिशानिर्देशों और स्टॉक एक्सचेंजों या उसके क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले परिपत्रों के अधीन हैं।

स्टॉक एक्सचेंज कोई सलाह नहीं देता है या देने का दावा नहीं करता है और इस दस्तावेज़ में निहित किसी भी जानकारी के आधार पर स्टॉक एक्सचेंज के किसी भी स्टॉक ब्रोकर और/या किसी तीसरे पक्ष के साथ कोई भी व्यावसायिक संबंध बनाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इस दस्तावेज़ में निहित किसी भी जानकारी को व्यावसायिक सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। ऐसे व्यापार में शामिल जोखिमों को अच्छी तरह से समझे और समीक्षा किए बिना व्यापार करने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप अनिश्चित हैं, तो आपको इस पर पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।

यह विचार करते समय कि आपको व्यापार करना चाहिए या किसी को व्यापार करने के लिए अधिकृत करना चाहिए, आपको निम्नलिखित बातों के बारे में पता होना चाहिए या उनसे परिचित होना चाहिए: - 1.

बुनियादी जोखिम: 1.1

उच्च अस्थिरता का जोखिम: अस्थिरता से तात्पर्य मूल्य में होने वाले

गतिशील परिवर्तनों से है जो स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग गतिविधि जारी रहने पर किसी सुरक्षा/डेरिवेटिव अनुबंध से गुजरते हैं। आम तौर पर, किसी सुरक्षा/डेरिवेटिव अनुबंध की अस्थिरता जितनी अधिक होती है, उसके मूल्य में उतार-चढ़ाव भी उतना ही अधिक होता है। सक्रिय प्रतिभूतियों/डेरिवेटिव अनुबंधों की तुलना में कम कारोबार वाली प्रतिभूतियों/डेरिवेटिव अनुबंधों में सामान्य रूप से अधिक अस्थिरता हो सकती है। अस्थिरता के परिणामस्वरूप, आपका ऑर्डर केवल आंशिक रूप से निष्पादित हो सकता है या बिल्कुल भी निष्पादित नहीं हो सकता है, या जिस मूल्य पर आपका ऑर्डर निष्पादित हुआ वह अंतिम कारोबार मूल्य से काफी भिन्न हो सकता है या उसके बाद काफी हद तक बदल सकता है, जिसके परिणामस्वरूप काल्पनिक या वास्तविक नुकसान हो सकता है।

1.2 कम लिक्विडिटी का जोखिम: लिक्विडिटी से तात्पर्य बाजार

सहभागियों द्वारा प्रतिभूतियों/डेरिवेटिव अनुबंधों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर और न्यूनतम मूल्य अंतर के साथ तेजी से खरीदने और/या बेचने की क्षमता से है। आम तौर पर, यह माना जाता है कि किसी बाजार में जितने अधिक ऑर्डर उपलब्ध होते हैं, लिक्विडिटी उतनी ही अधिक होती है। लिक्विडिटी महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिक लिक्विडिटी के साथ, निवेशकों के लिए प्रतिभूतियों/डेरिवेटिव अनुबंधों को तेजी से और न्यूनतम मूल्य अंतर के साथ खरीदना और/या बेचना आसान होता है, और परिणामस्वरूप, निवेशकों द्वारा खरीदे या बेचे गए प्रतिभूतियों/डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य का भुगतान करने या प्राप्त करने की अधिक संभावना होती है। सक्रिय प्रतिभूतियों/डेरिवेटिव अनुबंधों की तुलना में कुछ प्रतिभूतियों/डेरिवेटिव अनुबंधों में कम लिक्विडिटी का जोखिम हो सकता है। परिणामस्वरूप, आपका ऑर्डर केवल आंशिक रूप से निष्पादित हो सकता है, या अपेक्षाकृत अधिक मूल्य अंतर के साथ निष्पादित हो सकता है या बिल्कुल भी निष्पादित नहीं हो सकता है।

1.2.1 एक दिन के व्यापार की रणनीति के भाग के रूप में प्रतिभूतियों/व्युत्पन्न अनुबंधों को खरीदने या बेचने से भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में, प्रतिभूतियों/व्युत्पन्न अनुबंधों को अपेक्षित मूल्य स्तरों की तुलना में कम/उच्च कीमतों पर बेचा/खरीदा जाना पड़ सकता है, जिससे प्रतिभूति/व्युत्पन्न अनुबंध को वितरित करने या प्राप्त करने के लिए कोई खुली स्थिति या दायित्व नहीं रह जाता है।

1.3 व्यापक स्प्रेड का जोखिम: स्प्रेड का मतलब है सर्वश्रेष्ठ

खरीद मूल्य और सर्वश्रेष्ठ बिक्री मूल्य में अंतर। यह किसी सुरक्षा/डेरिवेटिव अनुबंध को खरीदने और उसे तुरंत बेचने या इसके विपरीत मूल्य के बीच के अंतर को दर्शाता है। कम तरलता और उच्च अस्थिरता के परिणामस्वरूप कम तरल या अतरल प्रतिभूतियों/डेरिवेटिव के लिए सामान्य से अधिक व्यापक स्प्रेड हो सकता है।

इससे बेहतर मूल्य निर्धारण में बाधा उत्पन्न होगी।

1.4 जोखिम कम करने वाले आदेश: ऐसे आदेश (जैसे,

"स्टॉप लॉस" आदेश, या "लिमिट" आदेश) देना, जिनका उद्देश्य नुकसान को निश्चित मात्रा तक सीमित करना होता है, कई बार प्रभावी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बाजार की स्थितियों में तेजी से होने वाले परिवर्तन के कारण ऐसे आदेशों को निष्पादित करना असंभव हो सकता है।

1.4.1 एक "मार्केट" ऑर्डर तुरंत निष्पादित किया जाएगा, विपरीत पक्ष पर ऑर्डर की उपलब्धता के अधीन, कीमत की परवाह किए बिना और जबकि ग्राहक को "मार्केट" ऑर्डर का तुरंत निष्पादन प्राप्त हो सकता है, निष्पादन बकाया ऑर्डर की उपलब्ध कीमतों पर हो सकता है, जो ऑर्डर मात्रा को संतुष्ट करता है, मूल्य समय प्राथमिकता पर। यह समझा जा सकता है कि ये कीमतें उस सुरक्षा / डेरिवेटिव अनुबंध में अंतिम कारोबार मूल्य या सर्वोत्तम मूल्य से काफी भिन्न हो सकती हैं।

1.4.2 "लिमिट" ऑर्डर केवल ऑर्डर के लिए निर्दिष्ट "लिमिट" मूल्य या उससे बेहतर मूल्य पर निष्पादित किया जाएगा। हालांकि, ग्राहक को मूल्य सुरक्षा प्राप्त होती है, लेकिन इस बात की संभावना है कि ऑर्डर बिल्कुल भी निष्पादित न हो।

1.4.3 स्टॉप लॉस ऑर्डर सामान्यतः स्टॉक/डेरिवेटिव अनुबंध के वर्तमान मूल्य से "दूर" रखा जाता है, और ऐसा ऑर्डर तब सक्रिय हो जाता है जब सुरक्षा/डेरिवेटिव अनुबंध स्टॉप मूल्य पर पहुंच जाता है, या उससे होकर ट्रेड करता है।

बिक्री स्टॉप ऑर्डर आम तौर पर मौजूदा कीमत से नीचे दर्ज किए जाते हैं, और खरीद स्टॉप ऑर्डर आम तौर पर मौजूदा कीमत से ऊपर दर्ज किए जाते हैं। जब सुरक्षा / डेरिवेटिव अनुबंध पूर्व-निर्धारित मूल्य पर पहुंच जाता है, या ऐसे मूल्य के माध्यम से ट्रेड करता है, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर एक मार्केट / लिमिट ऑर्डर में बदल जाता है और सीमा या उससे बेहतर पर निष्पादित होता है।

इसलिए इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि सीमा आदेश निष्पादित हो सकेगा, क्योंकि प्रतिभूति/व्युत्पन्न अनुबंध पूर्व-निर्धारित मूल्य को भेद सकता है, ऐसी स्थिति में, ऐसे आदेश के निष्पादन न होने का जोखिम उत्पन्न होता है, जैसा कि नियमित सीमा आदेश के साथ होता है।

1.5 समाचार घोषणाओं का जोखिम:

स्टॉक/डेरिवेटिव अनुबंध के मूल्य को प्रभावित करने वाली समाचार घोषणाएं ट्रेडिंग के दौरान हो सकती हैं, और जब कम तरलता और उच्च अस्थिरता के साथ संयुक्त होती हैं, तो अचानक सुरक्षा/अनुबंध के मूल्य में अप्रत्याशित सकारात्मक या नकारात्मक आंदोलन हो सकता है।

1.6 अफवाहों का जोखिम: कंपनियों/मुद्राओं

के बारे में अफवाहें कभी-कभी मौखिक रूप से, समाचार पत्रों, वेबसाइटों या समाचार एजेंसियों आदि के माध्यम से बाजार में फैलती हैं। निवेशकों को सावधान रहना चाहिए और अफवाहों पर कार्रवाई करने से बचना चाहिए।

1.7 सिस्टम जोखिम:

बाजार खुलने और बाजार बंद होने से पहले अक्सर उच्च मात्रा में ट्रेडिंग होती है। दिन के किसी भी समय ऐसी उच्च मात्रा हो सकती है। इससे ऑर्डर निष्पादन या पुष्टि में देरी हो सकती है।

1.7.1 अस्थिरता की अवधि के दौरान, बाजार सहभागियों द्वारा अपने ऑर्डर की मात्रा में लगातार संशोधन करने के कारण

या कीमतों या नए ऑर्डर देने में देरी हो सकती है, ऑर्डर निष्पादन और इसकी पुष्टि में देरी हो सकती है।

1.7.2 कुछ बाजार स्थितियों के अंतर्गत, बाजार में किसी स्थिति को उचित मूल्य पर या बिल्कुल भी समाप्त करना कठिन या असंभव हो सकता है, जब खरीद पक्ष या बिक्री पक्ष में कोई भी बकाया आदेश न हो, या यदि असामान्य व्यापारिक गतिविधि या सुरक्षा / डेरिवेटिव अनुबंध के सर्किट फिल्टर से टकराने या किसी अन्य कारण से किसी सुरक्षा / डेरिवेटिव अनुबंध में व्यापार रोक दिया गया हो।

1.8 सिस्टम/नेटवर्क संकुलन:

एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड में होती है, जो सेटलाइट/लीज्ड लाइन आधारित संचार, प्रौद्योगिकियों के संयोजन और कंप्यूटर सिस्टम पर आधारित होती है, ताकि ऑर्डर प्लेस और रूट किए जा सकें। इस प्रकार, संचार विफलता या सिस्टम की समस्या या सिस्टम से धीमी या देरी से प्रतिक्रिया या ट्रेडिंग रुकने या ऐसी कोई अन्य समस्या/गड़बड़ी की संभावना होती है, जिससे ट्रेडिंग सिस्टम/नेटवर्क तक पहुंच स्थापित करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, जो नियंत्रण से परे हो सकता है और जिसके परिणामस्वरूप आंशिक या पूर्ण रूप से खरीद या बिक्री ऑर्डर को संसाधित करने में देरी हो सकती है या संसाधित नहीं किया जा सकता है। आपको यह ध्यान देने के लिए सावधान किया जाता है कि हालांकि ये समस्याएँ अस्थायी प्रकृति की हो सकती हैं, लेकिन जब आपके पास बकाया खुली स्थितियाँ या अथूरे ऑर्डर होते हैं, तो ये सभी निष्पादित लेनदेन को निपटाने के आपके दायित्वों के कारण जोखिम का प्रतिनिधित्व करते हैं।

2. जहाँ तक डेरिवेटिव सेगमेंट का सवाल है, कृपया ध्यान दें और निम्नलिखित अतिरिक्त विशेषताओं से खुद को परिचित करें: - "लीवरेज" या "गियरिंग" का प्रभाव: डेरिवेटिव बाजार में, मार्जिन की राशि डेरिवेटिव अनुबंध के मूल्य के सापेक्ष छोटी होती है, इसलिए

2.1 लेनदेन 'लीवरेज' या 'गियर्ड' होते हैं। डेरिवेटिव ट्रेडिंग, जो अपेक्षाकृत

कम मार्जिन राशि के साथ संचालित होती है, मार्जिन राशि की तुलना में बहुत अधिक लाभ या हानि की संभावना प्रदान करती है।

लेकिन डेरिवेटिव्स में लेनदेन में उच्च स्तर का जोखिम होता है।

इसलिए आपको डेरिवेटिव में वास्तव में ट्रेडिंग करने से पहले निम्नलिखित कथनों को पूरी तरह से समझ लेना चाहिए और अपनी परिस्थितियों, वित्तीय संसाधनों आदि को ध्यान में रखते हुए सावधानी से ट्रेड करना चाहिए। यदि कीमतें आपके खिलाफ चलती हैं, तो आप अपेक्षाकृत कम समय में मार्जिन राशि का एक हिस्सा या पूरी राशि खो सकते हैं। इसके अलावा, नुकसान मूल मार्जिन राशि से अधिक हो सकता है।

ए. वायदा कारोबार में सभी स्थितियों का दैनिक निपटान शामिल है। हर दिन खुली स्थितियों को इंडेक्स/डेरिवेटिव अनुबंध के समापन स्तर के आधार पर बाजार में चिह्नित किया जाता है। यदि अनुबंध आपके खिलाफ चला गया है, तो आपको इस तरह के आंदोलन से होने वाले नुकसान (काल्पनिक) की राशि जमा करने की आवश्यकता होगी।

यह राशि एक निर्धारित समय सीमा के भीतर, सामान्यतः वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले, चुकानी होगी।

अगले दिन व्यापार.

- बी। यदि आप निर्धारित समय तक अतिरिक्त राशि जमा करने में असफल रहते हैं या आपके खाते में कोई बकाया ऋण हो जाता है, तो स्टॉक ब्रोकर आपके पूरे या आंशिक पोजीशन को समाप्त कर सकता है या उसकी जगह अन्य प्रतिभूतियां रख सकता है।
इस मामले में, आप ऐसे क्लोज-आउट के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी होंगे।
- C. कुछ बाजार स्थितियों के तहत, निवेशक को लेनदेन निष्पादित करना मुश्किल या असंभव लग सकता है।
उदाहरण के लिए, यह स्थिति तरलता की कमी जैसे कारकों के कारण उत्पन्न हो सकती है, अर्थात् जब बोलियां या प्रस्ताव अपर्याप्त हों या मूल्य सीमा या सर्किट ब्रेकर आदि के कारण व्यापार स्थगित हो जाए।
- डी. बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं: मार्जिन दर में बदलाव, नकद मार्जिन दर में वृद्धि या अन्य। ये नए उपाय मौजूदा ओपन इंटरस्ट पर भी लागू किए जा सकते हैं।
ऐसी स्थितियों में, आपको अतिरिक्त मार्जिन लगाने या अपनी पोजीशन कम करने की आवश्यकता होगी।

ई. आपको अपने ब्रोकर से उन डेरिवेटिव अनुबंधों का पूरा विवरण मांगना चाहिए, जिनमें आप व्यापार करने की योजना बना रहे हैं, अर्थात् अनुबंध विनिर्देश और संबंधित दायित्व।

2.2 मुद्रा विशिष्ट जोखिम: 1. विदेशी मुद्रा-मूल्यवर्गित

अनुबंधों में लेनदेन में लाभ या हानि, चाहे वे आपके अपने या किसी अन्य क्षेत्राधिकार में कारोबार किए गए हों, मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव से प्रभावित होंगे जहां अनुबंध के मुद्रा मूल्यवर्ग को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है।

- कुछ बाजार स्थितियों में, आपको किसी पोजीशन को समाप्त करना मुश्किल या असंभव लग सकता है। ऐसा तब हो सकता है, जब उदाहरण के लिए किसी मुद्रा को विनियमित किया जाता है या निश्चित ट्रेडिंग बैंड को चौड़ा किया जाता है।
- मुद्रा की कीमतें अत्यधिक अस्थिर होती हैं। मुद्राओं के लिए मूल्य आंदोलन अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित से प्रभावित होते हैं: आपूर्ति-मांग संबंधों में परिवर्तन; व्यापार, राजकोषीय, मौद्रिक, विनिमय नियंत्रण कार्यक्रम और सरकारों की नीतियां; विदेशी राजनीतिक और आर्थिक घटनाएं और नीतियां; राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों और मुद्रास्फीति में परिवर्तन; मुद्रा अवमूल्यन; और बाजार की भावना। इनमें से कोई भी कारक किसी भी व्यक्तिगत सलाहकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है और कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि सलाहकार की सलाह से भाग लेने वाले ग्राहक के लिए लाभदायक ट्रेड होंगे या ग्राहक को ऐसी घटनाओं से नुकसान नहीं होगा।

2.3 विकल्प धारकों का जोखिम: 1. विकल्प धारक को

अपेक्षाकृत कम समय में विकल्प के लिए भुगतान की गई पूरी राशि खोने का जोखिम होता है। यह जोखिम विकल्प की प्रकृति को दर्शाता है, जो एक बर्बाद परिसंपत्ति है जो समाप्त होने पर बेकार हो जाती है। एक विकल्प धारक जो न तो द्वितीयक बाजार में अपना विकल्प बेचता है और न ही समाप्ति से पहले इसका प्रयोग करता है, वह अनिवार्य रूप से विकल्प में अपना पूरा निवेश खो देगा। यदि विकल्प की समाप्ति से पहले अंतर्निहित की कीमत प्रत्याशित दिशा में नहीं बदलती है, तो विकल्प की लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त सीमा तक, निवेशक विकल्प में अपने निवेश का पूरा या महत्वपूर्ण हिस्सा खो सकता है।

- एक्सचेंज अभ्यास प्रतिबंध लगा सकते हैं और अभ्यास को प्रतिबंधित करने का पूर्ण अधिकार रखते हैं
निर्दिष्ट परिस्थितियों में निश्चित समय पर विकल्पों की उपलब्धता।

2.4 ऑप्शन राइटर्स के जोखिम: 1.

यदि अंतर्निहित मूल्य की गति प्रत्याशित दिशा में नहीं है, तो विकल्प लेखक को भारी मात्रा में हानि होने का जोखिम उठाना पड़ता है।

- ऑप्शन राइटर्स होने का जोखिम उसी अंतर्निहित ब्याज पर अन्य ऑप्शन खरीदकर और इस प्रकार स्प्रेड पोजीशन ग्रहण करके या ऑप्शन मार्केट या अन्य मार्केट में अन्य प्रकार की हेजिंग पोजीशन प्राप्त करके कम किया जा सकता है। हालांकि, जहाँ राइटर्स ने स्प्रेड या अन्य हेजिंग पोजीशन ग्रहण की है, वहाँ भी जोखिम महत्वपूर्ण हो सकता है। स्प्रेड पोजीशन जरूरी नहीं कि एक साधारण 'लॉन्ग' या 'शॉर्ट' पोजीशन से कम जोखिमपूर्ण हो।
- ऐसे लेन-देन जिसमें संयोजन में कई विकल्पों को खरीदना और लिखना शामिल हो, या अंतर्निहित हितों को खरीदने या बेचने के साथ संयोजन में विकल्पों को खरीदना या लिखना शामिल हो, निवेशकों के लिए अतिरिक्त जोखिम प्रस्तुत करते हैं।
संयोजन लेनदेन, जैसे कि विकल्प स्प्रेड, एकल विकल्प खरीदने या लिखने से अधिक जटिल होते हैं। और यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि, निवेश के किसी भी क्षेत्र की तरह, एक जटिलता जिसे अच्छी तरह से समझा नहीं गया है, वह अपने आप में एक जोखिम कारक है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि संयोजन रणनीतियों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यह सलाह दी जाती है, जैसा कि विकल्पों में सभी निवेशों के मामले में होता है, किसी ऐसे व्यक्ति से परामर्श करना जो विभिन्न बाजार परिस्थितियों में संयोजन लेनदेन के जोखिमों और संभावित पुरस्कारों के संबंध में अनुभवी और जानकार हो।

3. वायरलेस प्रौद्योगिकी/स्मार्ट ऑर्डर रूटिंग या किसी अन्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से ट्रेडिंग: वायरलेस प्रौद्योगिकी/स्मार्ट ऑर्डर रूटिंग या किसी अन्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रतिभूतियों के व्यापार से जुड़ी विशेषताओं, जोखिमों, जिम्मेदारियों, दायित्वों और देनदारियों को परिभाषित करने वाले किसी भी अतिरिक्त प्रावधान को स्टॉक ब्रोकर द्वारा ग्राहक के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

4. सामान्य 4.1 'घटक' शब्द का

अर्थ और इसमें शामिल है एक ग्राहक, ग्राहक या निवेशक, जो एक्सचेंजों द्वारा प्रदान की गई प्रणाली के माध्यम से प्रतिभूतियों / डेरिवेटिव अनुबंधों को प्राप्त करने और / या बेचने के उद्देश्य से स्टॉक ब्रोकर के साथ सौदा करता है।

4.2 'स्टॉक ब्रोकर' शब्द का तात्पर्य स्टॉक ब्रोकर, दलाल या स्टॉक ब्रोकर से है, जिसे एक्सचेंजों द्वारा इस रूप में स्वीकार किया गया है और जिसके पास सेबी से पंजीकरण प्रमाणपत्र है।

मार्गदर्शन नोट - निवेशकों के लिए एक्सचेंज(एस) पर ट्रेडिंग के लिए क्या करें और क्या न करें

व्यापार शुरू करने से पहले

- सुनिश्चित करें कि आप केवल सेबी पंजीकृत मध्यस्थों के साथ और उनके माध्यम से ही लेन-देन करें। आप स्टॉक एक्सचेंज www.bseindia.com/www.nseindia.com/www.cdslindia.com और सेबी वेबसाइट www.sebi.gov.in पर उपलब्ध सूची से उनके सेबी पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या की जांच कर सकते हैं।
- सुनिश्चित करें कि आप केवाईसी फॉर्म को पूरी तरह से भरें और केवाईसी फॉर्म में रिक्त स्थानों को काट दें।
- सुनिश्चित करें कि आपने स्टॉक ब्रोकर के सभी अनिवार्य दस्तावेज़ जैसे अधिकार और दायित्व, जोखिम प्रकटीकरण दस्तावेज़, नीति और प्रक्रिया दस्तावेज़ को पढ़ लिया है।
- सुनिश्चित करें कि आप और स्टॉक ब्रोकर के बीच सहमत स्वीच्छिक खंड, यदि कोई हो, को पढ़ें, समझें और फिर उस पर हस्ताक्षर करें। ध्यान दें कि आपके और स्टॉक ब्रोकर के बीच सहमत खंडों को आपकी सहमति के बिना बदला नहीं जा सकता है।
- ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर द्वारा आप पर लगाए गए सभी ब्रोकरेज, कमीशन, फीस और अन्य प्रभारों तथा सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निर्दिष्ट प्रासंगिक प्रावधानों/दिशानिर्देशों के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करें।
- आपके द्वारा निष्पादित सभी दस्तावेजों की एक प्रति स्टॉक ब्रोकर से निःशुल्क प्राप्त करें।
- यदि आप स्टॉक ब्रोकर के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) निष्पादित करना चाहते हैं, जिससे उसे आपके बैंक और डीमैट खाते को संचालित करने के लिए अधिकृत किया जा सके, तो कृपया इस संबंध में सेबी/एक्सचेंजों द्वारा जारी दिशा-निर्देश देखें।

लेन-देन और निपटान

- स्टॉक ब्रोकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स (ECN) जारी कर सकता है, बशर्ते कि आप उसे लिखित रूप में अधिकृत करें। इसके लिए आपको स्टॉक ब्रोकर को अपना ईमेल आईडी देना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर से परिचित नहीं हैं, तो ECN का विकल्प न चुनें।
- अपने इंटरनेट ट्रेडिंग खाते का पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें।
- स्टॉक ब्रोकर को नकद में कोई भुगतान न करें।
- स्टॉक ब्रोकर के पक्ष में अकाउंट पेयी चेक द्वारा भुगतान करें। सब-ब्रोकर के नाम पर चेक जारी न करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास स्टॉक ब्रोकर के पास आपके भुगतान/जमा प्रतिभूतियों का दस्तावेजी सबूत है, जिसमें तारीख, स्क्रिप, मात्रा, किस बैंक/डीमैट खाते में ऐसी धनराशि या प्रतिभूतियाँ जमा की गई हैं और किस बैंक/डीमैट खाते से जमा की गई हैं, यह बताया गया हो।
- ध्यान दें कि स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर ट्रेड वेरिफिकेशन की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट नोट में उल्लिखित ट्रेड के विवरण को सत्यापित किया जा सकता है। जहाँ वेबसाइट पर ट्रेड विवरण कॉन्ट्रैक्ट नोट में उल्लिखित विवरण से मेल नहीं खाता है, वहाँ तुरंत संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ से संपर्क करें।
- यदि आपने चालू खाता बनाए रखने के लिए विशिष्ट प्राधिकरण दिया है, तो फंड का भुगतान या प्रतिभूतियों की डिलीवरी (जैसा भी मामला हो), एक्सचेंज से भुगतान प्राप्त होने के एक कार्य दिवस के भीतर आपको नहीं की जा सकती है। इस प्रकार, स्टॉक ब्रोकर निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपके लिए चालू खाता बनाए रखेगा:

क) आपके द्वारा दिया गया ऐसा प्राधिकरण दिनांकित होगा, केवल आपके द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा उसमें यह खंड होगा कि आप उसे किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।

बी) फंड और सिक््योरिटीज का वास्तविक निपटान स्टॉक ब्रोकर द्वारा, आपकी पसंद के आधार पर, कैलेंडर तिमाही या महीने में कम से कम एक बार किया जाएगा। खाते का निपटान करते समय, स्टॉक ब्रोकर आपको एक 'खातों का विवरण' भेजेगा जिसमें फंड के लिए क्लाइंट लेजर से एक अर्क और फंड और सिक््योरिटीज की सभी प्राप्तियों/डिलीवरी को प्रदर्शित करने वाले सिक््योरिटीज के रजिस्टर से एक अर्क शामिल होगा। विवरण में फंड और सिक््योरिटीज के प्रतिधारण और गिरवी रखे गए शेयरों का विवरण, यदि कोई हो, भी स्पष्ट किया जाएगा।

सी) निपटान की तिथि पर, स्टॉक ब्रोकर बकाया दायित्वों के लिए अपेक्षित प्रतिभूतियों/निधि रख सकता है और अगले 5 कारोबारी दिनों के लिए डेरिवेटिव मार्जिन दायित्वों को पूरा करने के लिए अपेक्षित निधियों को भी रख सकता है, जिसकी गणना एक्सचेंजों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से की जाती है। नकद बाजार लेनदेन के संबंध में, स्टॉक ब्रोकर निपटान की तिथि पर ग्राहकों से देय निधियों और प्रतिभूतियों के संपूर्ण भुगतान दायित्व को बनाए रख सकता है और अगले दिन के कारोबार के लिए, वह नकद बाजार में ऐसे निपटान के दिन निष्पादित लेनदेन के मूल्य की सीमा तक निधियों/प्रतिभूतियों/मार्जिन को बनाए रख सकता है।

d) आपको खाते के विवरण या निपटान से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को स्टॉक ब्रोकर के ध्यान में लिखित रूप में लाना होगा, अधिमानतः फंड/सिक््योरिटी या विवरण की प्राप्ति की तारीख से 7 (सात) कार्य दिवसों के भीतर, जैसा भी मामला हो। विवाद के मामले में, बिना देरी किए संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ को लिखित रूप में मामला भेजें।

14. यदि आपने चालू खाता बनाए रखने का विकल्प नहीं चुना है और एक्सचेंज से भुगतान प्राप्त होने के अगले कार्य दिवस पर फंड/सिक््योरिटीज का भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तो कृपया मामले को स्टॉक ब्रोकर को भेजें। यदि कोई विवाद है, तो सुनिश्चित करें कि आप संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ में तुरंत लिखित में शिकायत दर्ज करें।

15. कृपया स्टॉक एक्सचेंजों से ट्रेडिंग दिवस के अंत तक एसएमएस या ईमेल के माध्यम से ट्रेड पुष्टि अलर्ट/लेनदेन का विवरण प्राप्त करने के लिए स्टॉक ब्रोकर के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पंजीकृत कराएं।

व्यापारिक सदस्यता की समाप्ति के मामले में

16. यदि कोई स्टॉक ब्रोकर अपनी सदस्यता छोड़ देता है, सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाता है या डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है; स्टॉक एक्सचेंज निवेशकों से स्टॉक एक्सचेंज के "ट्रेडिंग सिस्टम पर निष्पादित लेनदेन" से संबंधित दावों को आमंत्रित करते हुए एक सार्वजनिक नोटिस जारी करता है। सुनिश्चित करें कि आप निर्धारित अवधि के भीतर और सहायक दस्तावेजों के साथ संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दावा दर्ज करें।

17. अपने स्टॉक ब्रोकर के पास जमा किए गए धन और/या प्रतिभूतियों को ढी जाने वाली सुरक्षा से परिचित हो जाएं, विशेष रूप से चूक या स्टॉक ब्रोकर के दिवालिया होने या दिवालियापन की स्थिति में और आप किस सीमा तक ऐसे धन और/या प्रतिभूतियों को प्राप्त कर सकते हैं, यह उस संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के उपनियमों और विनियमों द्वारा नियंत्रित हो सकता है जहां व्यापार निष्पादित किया गया था और समय-समय पर लागू निवेशक संरक्षण निधि की योजना।

विवाद/शिकायतें

18. कृपया ध्यान दें कि मध्यस्थता कार्यवाही, दलालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और स्टॉक ब्रोकरों के खिलाफ निवेशकों की शिकायतों का विवरण संबंधित स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है।

19. यदि आपकी समस्या/समस्या/शिकायत का समाधान संबंधित स्टॉक ब्रोकर/सब-ब्रोकर द्वारा नहीं किया जा रहा है तो आप मामले को संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के समक्ष उठा सकते हैं। यदि आप अपनी शिकायत के समाधान से संतुष्ट नहीं हैं तो आप मामले को सेबी के समक्ष उठा सकते हैं।

20. ध्यान दें कि सभी स्टॉक ब्रोकर/सब-ब्रोकर को सेबी द्वारा शिकायत दर्ज करने के उद्देश्य से विशेष रूप से शिकायत निवारण प्रभाग/अनुपालन अधिकारी की ई-मेल आईडी निर्दिष्ट करने का निर्देश दिया गया है।

नीतियाँ और कार्यविधियाँ

यह ब्रोकर की ओर से एक अनिवार्य/बाध्यकारी दस्तावेज़ है और इसके लिए आपकी अत्यधिक सावधानी, ध्यान और समझ की आवश्यकता है।

यह ब्रोकर की ओर से एक अतिरिक्त आवश्यकता है जो यदि सेबी और एक्सचेंजों के किसी भी नियम, विनियम, लेख, उपनियम, परिपत्र, निर्देश और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करती है, तो वह अमान्य हो जाएगी। [सेबी परिपत्र संख्या MIRSD/SE/Cir-19/2009 दिनांक 03.12.2009 देखें]

पेनी स्टॉक में डील करना: आम तौर पर, ब्रोकर क्लाइंट को किसी भी पेनी स्टॉक में लेन-देन करने से आगाह करता है क्योंकि ऐसे स्क्रिप में ट्रेडिंग करना बहुत जोखिम भरा होता है। इसके अलावा, क्लाइंट को ऐसे स्क्रिप में ट्रेडिंग करते समय एक्सचेंज/सदस्यों के दिशा-निर्देशों और उचित परिश्रम का पालन करना भी आवश्यक है। इस प्रकार, हम ब्रोकर क्लाइंट को किसी भी पेनी स्टॉक में डील न करने की चेतावनी देते हैं। हालाँकि, हम अपने विवेक से क्लाइंट को (मामले के आधार पर) पेनी स्टॉक में डील करने की अनुमति दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, जो कि SEBI और एक्सचेंज के नियमों, विनियमों, लेखों, उपनियमों, परिपत्रों, निर्देशों और दिशा-निर्देशों के साथ-साथ संबंधित समय पर प्रचलित बाजार और अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के अधीन है।

क्लाइंट की एक्सपोजर सीमा: कैपिटल और डेरिवेटिव मार्केट के लिए क्लाइंट की संयुक्त सीमा, संबंधित क्लाइंट के ट्रेड इतिहास/अनुभव, यदि उपलब्ध हो, उसकी वित्तीय क्षमता और/या क्रेडिट योग्यता और रेफरल के अनुसार लेजर बैलेंस के अनुसार तय की जाती है। इसके अलावा, क्लाइंट के लेजर क्रेडिट बैलेंस, सिक्योरिटीज होल्ड आईएफआई लाभार्थी खाता, पीओए स्टॉक के साथ-साथ मार्जिन राशि आदि पर भी विचार किया जा रहा है। फंड/सिक्योरिटीज के क्रेडिट बैलेंस के आधार पर सीमा को बढ़ाया/घटाया जा सकता है और साथ ही अन्य मानदंडों को भी Iroker के विवेक पर रखा जा सकता है।

ब्रोकरेज दर: ब्रोकर यह खुलासा करता है कि वह ब्रोकर (इसकी शाखाओं या सबब्रोकर सहित) के साथ क्लाइंट द्वारा बाजार की परिस्थितियों के आधार पर या केवाईसी दस्तावेज़/बैंक ऑफिस सॉफ्टवेयर में निर्धारित दर पर ब्रोकरेज चार्ज करेगा। हालाँकि, ब्रोकर अधिकतम स्वीकार्य सीमा (वर्तमान में 2.5% से अधिक नहीं) का पालन करेगा जैसा कि समय-समय पर सेबी/एक्सचेंज द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। एक्सचेंज के ऑफ़शर सेगमेंट पर, यह खुलासा किया जाता है कि ब्रोकरेज प्रीमियम राशि का 2.5% या 100/- रुपये (प्रति लॉट) जो भी अधिक हो, उससे अधिक नहीं होगा।

किसी भी पक्ष द्वारा जुर्माना/देरी से भुगतान शुल्क: क्लाइंट यह खुलासा करता है कि उसे पता है और वह यह स्वीकार करता है कि सिक्योरिटीज या फंड का भुगतान टी + 2 दिन पर ब्रोकर को डिलीवर/करना आवश्यक है। किसी भी डिफॉल्ट के मामले में या यदि क्लाइंट से कोई राशि आपके द्वारा अनुमत अवधि से अधिक बकाया है, तो 18% प्रति वर्ष (प्रचलित बाजार दर के आधार पर) जुर्माना/देरी से भुगतान शुल्क लगाया जा सकता है। हालाँकि, इस सुविधा को लागू कानूनों के उल्लंघन में ब्रोकर द्वारा क्लाइंट को फंडिंग करने के लिए स्थायी अभ्यास में नहीं माना जाएगा। प्रतिभूतियों की बिक्री या खुली स्थिति को बंद करना: ग्राहक यह भी सहमत और पुष्टि करता है कि किसी भी देरी (सेबी या एक्सचेंज के नियमों, विनियमों, उपनियमों/परिपत्रों और अन्य लागू कानूनों और प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य समय सीमा से परे) या ग्राहक द्वारा किसी भी दायित्व, बकाया, डेबिट शेष, मार्जिन, एमटीओएम डेबिट शेष आदि का भुगतान या निकासी करने या उसे पूरा करने में अत्यधिक देरी के मामले में, तो ग्राहक की खुली स्थिति को समाप्त किया जा सकता है, प्रतिभूतियों के क्रेडिट शेष या ब्रोकर के पास पड़ी प्रतिभूतियों को बेचा जा सकता है, फंड के क्रेडिट शेष को ग्राहक के दायित्व, डेबिट शेष या देनदारियों के खिलाफ समय-समय पर प्रचलित आरएमएस नीति के अनुसार ब्रोकर की ओर से किसी भी नोटिस के बिना समायोजित किया जा सकता है।

दायित्व में कमी और आंतरिक नीलामी: ग्राहकों को टी+2 दिन पर सिक्योरिटीज/फंड का भुगतान करना आवश्यक है। यदि ग्राहक द्वारा सिक्योरिटी भुगतान में चूक होती है और कमी सदस्य स्तर पर है यानी आंतरिक कमी है, तो अगले दिन की वर्तमान बाजार दर या बिक्री के दिन की मानक दर पर 2 से 5% की दर से गणना की गई लाभ, जो भी भुगतान के दिन के बाद अधिक हो, चूककर्ता ग्राहक से वसूला जाएगा और संबंधित लाभार्थी ग्राहक को दिया जाएगा।

यदि ग्राहक द्वारा प्रतिभूतियों के भुगतान में चूक की जाती है और कमी एक्सचेंज की ओर से होती है, तो संबंधित एक्सचेंज का नीलामी मूल्य तथा जुर्माना (सदस्य द्वारा समय-समय पर निर्धारित) तथा ब्रोकरेज और अन्य वैधानिक शुल्क चूककर्ता ग्राहक से वसूल किया जाएगा।

ग्राहक द्वारा फंड डिफॉल्ट किए जाने की स्थिति में, सदस्य को पैसे की वसूली के लिए स्टॉक को लिक्विडेट करना होगा। सदस्यों द्वारा प्रतिभूतियों को लिक्विडेट करने से होने वाली किसी भी कमी को भी डिफॉल्ट करने वाले ग्राहक से ब्याज सहित (सदस्य द्वारा समय-समय पर तय) वसूला जाएगा।

आगे की स्थिति लेने या मौजूदा स्थिति को बंद करने पर प्रतिबंध/निषेध: किसी भी परिस्थिति में, जैसे कि, ग्राहक द्वारा भुगतान या मार्जिन दायित्वों को पूरा करने में विफलता या स्वीकार्य समय सीमा से पहले या ब्रोकर द्वारा अपनी आरएमएस नीति के अनुसार अनुमत अवधि से परे ब्रोकर के साथ बकाया/डेबिट शेष का निपटान करने में विफलता, ग्राहक को पहले की बकाया राशि, दायित्व, बकाया आदि का पूर्ण निपटान होने तक कोई नई या आगे की स्थिति लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

यहां तक कि, ब्रोकर सबसे पहले ग्राहक के विभिन्न बकाया और दायित्व के लिए भुगतान या प्रतिभूतियों को सेटऑफ या समायोजित कर सकता है और

जब तक पूर्ण मंजूरी नहीं मिल जाती, ग्राहक को आगे/नई स्थिति लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा, यह क्लाइंट का कर्तव्य होगा कि वह समय-समय पर ब्रोकर के साथ अपनी स्थिति की निगरानी करे। किसी भी दायित्व को पूरा करने में किसी भी देरी या विफलता के मामले में, आरएमएस नीति के अनुसार क्लाइंट को किसी भी अतिरिक्त सूचना के बिना मार्जिन मौजूदा स्थिति या खुली स्थिति। ऐसी परिस्थितियों में शामिल हो सकते हैं (लेकिन इन तक सीमित नहीं):

- a) टी+2 दिवस पर पे-जिन दायित्व को पूरा करने में विफलता,
- ख) भुगतान या मार्जिन आवश्यकता को पूरा करने में देरी,
- ग) ब्रोकर को बकाया या देयताओं के भुगतान में देरी या विफलता,
- घ) ग्राहक के चेक लौटाना या बार-बार लौटाना,
- ई) बिना किसी ठोस कारण/वजह के ग्राहक द्वारा अनावश्यक/अनुचित विवाद,
- च) किसी भी विवाद के लिए सौहार्दपूर्ण समाधान पर न पहुंचने का ग्राहक का रवैया, जिसे एक्सचेंज और/या सेबी की भागीदारी के बिना सुलझाया जा सकता है,
- छ) ब्रोकर की प्रचलित जोखिम नीति के अनुसार,
- h) सेबी/एक्सचेंज या ऐसे अन्य प्राधिकारियों से कोई निर्देश,
- i) ऐसी अन्य परिस्थितियों में, जिन्हें ब्रोकर मामले दर मामले के आधार पर उचित एवं उचित समझे।

ग्राहक खाते का निलंबन/पंजीकरण रद्द करना: ब्रोकर और/या ग्राहक निम्नलिखित परिस्थितियों में ब्रोकर के माध्यम से प्रतिभूति बाजार में आगे के कारोबार से ग्राहक के ट्रेडिंग खाते को निलंबित कर सकते हैं:

1. ग्राहक के पूर्व लिखित अनुरोध के अनुसार कम से कम 2 दिन का समय मुंबई आरओ में ब्रोकर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसकी विधिवत स्वीकृति हो।
ब्रोकर (संपूर्ण बकाया/दायित्वों के निपटान के अधीन)
2. ब्रोकर द्वारा निर्धारित समय सीमा से परे ग्राहक खाते की निष्क्रिय या निष्क्रिय स्थिति।
3. उपरोक्त (क) से (झ) तक में उल्लिखित किसी भी परिस्थिति में।

निष्क्रिय/निष्क्रिय खाते के लिए नीति: ब्रोकर की आरएमएस नीति के अनुसार, जिस खाते में अंतिम लेनदेन की तिथि से 6 महीने की अवधि के दौरान कोई लेनदेन नहीं हुआ है, उसे निष्क्रिय/निष्क्रिय खाता माना जाएगा। ऐसी लेनदेन तिथि निम्नलिखित में से किसी भी तिथि से संबंधित हो सकती है, जो भी बाद में हो:

- क) खरीद/बिक्री लेनदेन के लिए अनुबंध या बिल निर्माण से संबंधित प्रविष्टि या
- ख) ग्राहक द्वारा धन या प्रतिभूतियों के भुगतान से संबंधित प्रविष्टि या

सी) ग्राहक से वसूली जाने वाली किसी भी बकाया राशि/दायित्व के कारण संयुक्त उद्यम के माध्यम से ब्रोकर द्वारा की गई प्रविष्टि, जिसमें नीलामी शुल्क, कोई जुर्माना राशि शामिल है, चाहे वह एक्सचेंज या सेबी या अन्य प्राधिकरणों द्वारा लगाया गया हो या नहीं।

ग्राहक के खाते को निष्क्रिय/खाता घोषित करने के लिए 6 महीने की अवधि उस महीने के आखिरी दिन से गिनी जाएगी जिसमें उपरोक्त में से कोई भी अंतिम लेनदेन हुआ था। अगर ब्रोकर ग्राहक के खाते को निष्क्रिय/खाता मानता है तो ब्रोकर के पास पड़े फंड या प्रतिभूतियां ग्राहक की मांग पर तुरंत ग्राहकों को वापस कर दी जाएंगी। खाते को फिर से चालू करने के लिए ग्राहक को ब्रोकर को उसके मुंबई स्थित आरओ में कम से कम 2 दिन पहले लिखित में अनुरोध देना होगा। ब्रोकर उक्त खाते को तुरंत फिर से चालू करने का प्रयास करेगा बशर्ते कि ब्रोकर ऐसी शर्तें पूरी करे जिन्हें वह उचित समझे। ग्राहक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ऐसा लिखित अनुरोध फेक्स के जरिए 022-2367 4460 पर श्री निखिल जालान (अनुपालन अधिकारी) को या ईमेल के जरिए nikhil@kkjsec.com पर ब्रोकर के पास पंजीकृत ग्राहक के अपने ईमेल खाते से भी भेजा जा सकता है।

हालांकि, ब्रोकर अपने विवेक से, परिस्थितियों के आधार पर 2 दिनों की अवधि को माफ/कम कर सकता है।

□

(14/19)

ग्राहक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर (गैर-व्यक्तिगत ग्राहक के मामले में स्टाम्प के साथ)

अनुबंध एक
निवेशक चार्टर – स्टॉक ब्रोकर

विजन: ग्राहकों

द्वारा प्रतिभूतियों में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से व्यापार की सुविधा प्रदान करते हुए नैतिकता और अनुपालन के उच्चतम मानकों का पालन करना, ताकि निवेशकों के लिए धन सृजन में योगदान दिया जा सके।

मिशन i) नवाचार,

क्षमता वृद्धि और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से उच्च गुणवत्ता और भरोसेमंद सेवा प्रदान करना तकनीकी।

ii) निवेशकों के साथ विश्वास और नैतिकता का रिश्ता स्थापित करना और बनाए रखना। iii) अनुपालन और पारदर्शिता के उच्चतम मानक का पालन करना।

iv) सेवा प्रदान करते समय हमेशा 'निवेशकों के हितों की सुरक्षा' को लक्ष्य के रूप में रखना।

निवेशकों को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ • निवेशकों की ओर से ट्रेडों का निष्पादन। • अनुबंध नोट जारी करना। • मार्जिन देय भुगतानों के बारे में सूचनाएँ जारी करना। • शीघ्र भुगतान दायित्व निर्देशों के निष्पादन को सुगम बनाना। • ग्राहक के धन का निपटान।

• क्लाइंट अनपेड सिक्वोरिटीज अकाउंट (CUSA) खाते में रखी गई प्रतिभूतियों की सूचना। • निधियों का प्रतिधारण विवरण जारी करना। • परिचालन और बाजार जोखिम को कम करने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली। • क्लाइंट द्वारा निर्देशित सिस्टम

में क्लाइंट प्रोफाइल में बदलाव की सुविधा प्रदान करना। • एक्सचेंज सर्कुलर के संबंध में क्लाइंट के साथ सूचना साझा करना। • निवेशकों की शिकायतों का निवारण।

निवेशकों के अधिकार • फर्म से उस

व्यक्ति के कार्य इतिहास और पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी मांगें और प्राप्त करें जो इसे संभाल रहा है

आपके खाते के साथ-साथ फर्म के बारे में भी जानकारी।

• निवेश करने से पहले किसी भी निवेश के जोखिम, दायित्वों और लागतों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। • अपनी वित्तीय आवश्यकताओं और निवेश उद्देश्यों के अनुरूप सिफारिशें प्राप्त करें। • सभी पूर्ण खाता प्रपत्रों और समझौतों की एक प्रति प्राप्त करें। • सटीक और समझने योग्य खाता विवरण प्राप्त करें।

• आपके द्वारा किए जाने वाले लेन-देन के नियमों और शर्तों को समझें। • समय पर अपने फंड तक पहुँचें और पहुँच पर किसी भी प्रतिबंध या सीमा के बारे में जानकारी प्राप्त करें। • रखरखाव या सेवा शुल्क, लेन-देन या मोचन शुल्क, और के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें

दंड.

• अपनी शिकायतों पर फर्म के अनुपालन अधिकारी के साथ चर्चा करें और तुरंत ध्यान और निष्पक्ष विचार प्राप्त करें

आपकी चिंताओं का.

स्टॉक ब्रोकर की विभिन्न गतिविधियाँ समयसीमा के साथ

क्र.सं.	गतिविधियाँ	अपेक्षित समय-सीमा: खाता खोलने
1. के.वाई.सी. को के.आर.ए. प्रणाली और सी.के.वाई.सी.आर. में दर्ज किया गया 2.		के 10 दिन
	क्लाइंट ऑनबोर्डिंग	तत्काल, लेकिन एक सप्ताह से अधिक नहीं
3. आदेश निष्पादन		आदेश प्राप्त होने पर तत्काल, किन्तु उसी दिन से अधिक विलम्ब नहीं
4. विशिष्ट ग्राहक कोड का आवंटन 5. ग्राहकों को विधिवत भरे गए ग्राहक		ट्रेडिंग से पहले ट्रेडिंग सदस्य
पंजीकरण दस्तावेजों की प्रतिलिपि 6. अनुबंध नोट जारी करना		द्वारा एक्सचेंज पर यूनिक क्लाइंट कोड अपलोड करने की तिथि से 7 दिन ट्रेडों के निष्पादन के 24 घंटे बाद
7. ग्राहक से अग्रिम मार्जिन का संग्रह 8. अन्य मार्जिन देय भुगतानों के बारे में सूचना		व्यापार आरंभ करने से पहले
जारी करना 9. ग्राहक निधियों का निपटान		टी दिवस के अंत में
		ग्राहक की पसंद के अनुसार चालू खाता निपटान (आरएएस) के लिए 30 दिन / 90 दिन।
		यदि आरएएस के लिए सहमति नहीं दी गई है - साप्ताहिक आधार पर भुगतान के
10. फंड, सिक्वोरिटीज और कम्पोजिटीज के लिए 'खातों का विवरण'		24 घंटे के भीतर (अगले सप्ताह के चार कारोबारी दिनों के भीतर)

क्र.सं.	गतिविधियाँ	अपेक्षित समय-सीमा निपटान की
11. निधियों/वस्तुओं का प्रतिधारण विवरण जारी करना		तिथि से 5 दिन
12. वार्षिक वैश्विक वक्तव्य जारी करना 13. निवेशक शिकायत निवारण		वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिन शिकायत प्राप्त होने से 30 दिन

निवेशकों के लिए क्या करें और क्या न करें

की	क्या न करें
1. खाता खोलने के फॉर्म पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी दस्तावेजों और शर्तों को पढ़ें।	1. अपंजीकृत स्टॉक ब्रोकर के साथ सौदा न करें।
2. केवाईसी की प्रति, खाता खोलने के दस्तावेजों की प्रति और विशिष्ट ग्राहक कोड प्राप्त करें।	2. खाता खोलने और केवाईसी में रिक्त स्थानों को काटना न भूलें।
3. विभिन्न ट्रेडिंग और क्लियरिंग एवं निपटान से संबंधित उत्पाद/परिचालन रूपरेखा/समयसीमा पढ़ें प्रक्रियाएं।	3. अधूरा खाता खोलने और केवाईसी फॉर्म जमा न करें।
4. ब्रोकरेज, फीस और अन्य प्रभारों के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करें।	4. ट्रेडिंग खाते से जुड़ी जानकारी में किसी भी बदलाव की सूचना देना न भूलें और सिस्टम में अपडेट की पुष्टि प्राप्त करें।
5. अपने लेनदेन पर नियमित अलर्ट प्राप्त करने के लिए अपने ट्रेडिंग, डीमैट और बैंक खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पंजीकृत कराएं।	5. ट्रेडिंग के उद्देश्य से स्टॉक ब्रोकर के अलावा किसी और को फंड ट्रांसफर न करें। स्टॉक ब्रोकर के कर्मचारी के नाम पर कोई भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।
6. यदि निष्पादित हो तो पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रति प्राप्त करें। हालांकि, सेबी/स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार पावर ऑफ अटॉर्नी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी देने से पहले, दी जा रही शक्तियों के दायरे और निहितार्थों की सावधानीपूर्वक जाँच करें।	6. स्टॉक एक्सचेंज से किए गए व्यापार के संबंध में प्राप्त किसी भी ईमेल/एसएमएस को नजरअंदाज न करें और यदि कोई विसंगति दिखे तो चिंता व्यक्त करें।
7. निष्पादित ट्रेडों के लिए अनुबंध नोट प्राप्त करें, जिसमें लेनदेन मूल्य, ब्रोकरेज, जीएसटी और एसटीटी आदि को अलग-अलग, ट्रेडों के निष्पादन के 24 घंटे के भीतर दिखाया जाएगा।	7. यदि आप डिजिटल अनुबंधों से परिचित नहीं हैं तो उनका चयन न करें। कंप्यूटर.
8. भुगतान के 24 घंटे के भीतर समय पर धन और प्रतिभूतियाँ/वस्तुएँ प्राप्त करें।	8. ट्रेडिंग पासवर्ड साझा न करें।
9. ट्रेड्स, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स और अकाउंट स्टेटमेंट के विवरण को सत्यापित करें और किसी भी विसंगति के लिए संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करें। एक्सचेंज द्वारा प्रदान की गई ट्रेड सत्यापन सुविधा से एक्सचेंज की वेबसाइट पर ट्रेड विवरण को सत्यापित करें।	9. निश्चित/गारंटीकृत रिटर्न वाली योजनाओं के झांसे में न आएं।
10. खातों का विवरण समय-समय पर प्राप्त करें। यदि चालू खाता निपटान का विकल्प चुना गया है, तो ग्राहक द्वारा दिए गए विकल्प (30 या 90 दिन) के अनुसार स्टॉक ब्रोकर द्वारा खाते का निपटान किया जाना चाहिए।	10. स्टॉक/सिक्वोरिटीज में ट्रेडिंग करने का लालच देकर भारी मुनाफे का वादा करने वाले ईमेल और एसएमएस भेजने वाले धोखेबाजों के झांसे में न आएं।
11. किसी भी शिकायत के मामले में, निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका समाधान करवाने के लिए स्टॉक ब्रोकर या स्टॉक एक्सचेंज या सेबी से संपर्क करें।	11. निवेश के लिए झुंड मानसिकता का पालन न करें। अपने निवेश के लिए विशेषज्ञ और पेशेवर सलाह लें।


शिकायत निवारण तंत्र स्तर 1 - स्टॉक ब्रोकर के नामित निवेशक

शिकायत ई-मेल आईडी पर स्टॉक ब्रोकर से संपर्क करें। स्टॉक ब्रोकर शिकायत का तुरंत निवारण करने का प्रयास करेगा, लेकिन शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर।

स्तर 2 - संबंधित एक्सचेंज की वेबसाइट पर उल्लिखित शिकायत तंत्र का उपयोग करके स्टॉक एक्सचेंज से संपर्क करें।

स्तर 3 - स्टॉक ब्रोकर/स्टॉक एक्सचेंज स्तर पर निवारण न की गई शिकायत को सेबी के पास स्कोर्स (सेबी की एक वेब आधारित केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) पर <https://scores.gov.in/scores/Welcome.html> पर दर्ज किया जा सकता है।

स्टॉक एक्सचेंज में शिकायत समाधान प्रक्रिया को ग्राफिक रूप से समझाया गया है:



स्टॉक ब्रोकरों के खिलाफ स्टॉक एक्सचेंजों में शिकायत समाधान प्रक्रिया की समयसीमा गतिविधि का प्रकार क्र.सं.

	गतिविधि के लिए समयसीमा
1. शिकायत की प्राप्ति 2. निवेशक से अतिरिक्त जानकारी मांगी गई, यदि कोई हो, और अनंतिम रूप से स्टॉक ब्रोकर को भेज दी गई।	शिकायत का दिन (सी डे) सी + 7 कार्य दिवस.
3. शिकायत का पंजीकरण और स्टॉक ब्रोकर को अग्रणी करना।	सी + 8 कार्य दिवस यानि टी दिन।
4. सौहार्दपूर्ण समाधान.	टी + 15 कार्य दिवस.
5. सौहार्दपूर्ण समाधान न होने की स्थिति में शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) को संदर्भित करें।	टी + 16 कार्य दिवस.
6. जीआरसी के बाद समाधान प्रक्रिया पूरी करना।	टी + 30 कार्य दिवस.
यदि जीआरसी सदस्य को अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हो तो जीआरसी आदेश को 15 दिन के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।	टी + 45 कार्य दिवस.
8. जीआरसी आदेश का कार्यान्वयन।	जी.आर.सी. आदेश प्राप्त होने पर, यदि आदेश निवेशक के पक्ष में है, तो स्टॉक ब्रोकर के फंड को डेबिट करें। डेबिट के लिए आदेश तुरंत या जी.आर.सी. आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार जारी किया जाता है।
9. यदि स्टॉक ब्रोकर जीआरसी आदेश से असंतुष्ट है, तो मध्यस्थता का लाभ उठाने का इरादा प्रदान करेगा 10. यदि स्टॉक ब्रोकर से इरादा प्राप्त होता है और	ऑर्डर प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर
जीआरसी ऑर्डर राशि 20 लाख रुपये तक है	निवेशक निवेशक सुरक्षा निधि (आईपीएफ) से अंतरिम राहत के लिए पात्र है। अंतरिम राहत जीआरसी आदेश राशि का 50% या 2 लाख रुपये जो भी कम हो, होगी। निवेशक से अंडरटेकिंग प्राप्त करने के बाद यह प्रदान किया जाएगा।
11. स्टॉक ब्रोकर मध्यस्थता के लिए आवेदन करेगा	जी.आर.सी. की तारीख से 6 महीने के भीतर सिफारिश
12. यदि स्टॉक ब्रोकर 6 महीने के भीतर मध्यस्थता के लिए आवेदन नहीं करता है	जीआरसी आदेश राशि, अंतरिम राहत के रूप में जारी की गई राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद निवेशक को जारी की जाएगी।

ट्रेडिंग सदस्य/क्लियरिंग सदस्य (टीएम/सीएम) के चूक के मामले में निवेशक के दावों/शिकायतों का निपटान टीएम/सीएम का डिफॉल्ट स्टॉक

ब्रोकर द्वारा डिफॉल्ट किए जाने की स्थिति में, निवेशक के लाभ के लिए स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं: • स्टॉक ब्रोकर को डिफॉल्ट घोषित किए जाने के बारे में सूचित करने के लिए परिपत्र जारी किया जाता है। • स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर डिफॉल्ट स्टॉक ब्रोकर की जानकारी प्रसारित की जाती है। • स्टॉक

ब्रोकर को डिफॉल्ट घोषित किए जाने की सूचना देने और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर दावे आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है।

अवधि।

• दावा दायर करने में सुविधा के लिए डिफॉल्ट स्टॉक ब्रोकरों के ग्राहकों को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सूचना देना।

निर्दिष्ट अवधि.

निवेशकों की जानकारी के लिए स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध है: • आईपीएफ से मुआवजे के लिए दावों की पात्रता के मानदंड। •

डिफॉल्ट स्टॉक ब्रोकर के खिलाफ दावा दर्ज करने के लिए दावा फॉर्म। • डिफॉल्ट स्टॉक ब्रोकर के खिलाफ

निवेशकों के दावों के प्रसंस्करण पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। • ग्राहक के दावे की ऑनलाइन स्थिति की जांच करने

का प्रावधान।